"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
क्षेत्रीय निदेशक, (केंद्र सरकार) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
कॉमिक कॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 111, अग्रवाल सिटी स्क्वायर, प्लॉट नं. 10, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मंगलम प्लेस, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में स्थित है
....याचिकाकर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 11 जून, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित कर के और साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 111, अग्रवाल सिटी स्क्वायर, प्लॉट नं. 10, डिस्ट्रिक्ट सेंटर मंगलम प्लेस, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
कृते कॉमिक कॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 25.04.2025 शेफाली जॉनसन
स्थान : नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09566425

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
फ्रेग्रेन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U70101DL2006PTC148824)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **4315/3 अंसारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110002** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **03 मार्च, 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
4315/3 अंसारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110002
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
फ्रेग्रेन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 24.04.2025 धीरज कामत (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 10467596

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
स्काई लाउंज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U70101DL2006PTC148821)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **4315/3 अंसारी रोड दरिया गंज, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110002** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **03 मार्च, 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
122, डीए ब्लॉक, शालीमार बाग, नई दिल्ली–110088
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
इन्नो कलर एंड कम्पाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
सर्वेश कुमार गुप्ता (निदेशक)
दिनांक : 24.04.2025 डीआईएन : 00672472
स्थान : दिल्ली

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ भवन सं0 80, प्रथम तल,मंगल पाँण्डेय नगर, निकट बीएसएनएल कार्यालय, तेज़ गढी चौराहा, मेरठ

सूचित किया जाता है कि बैंक ने श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री सरदार सिंह, निवासी गली नं. 1, शालीमार गार्डन (काली का मंदिर के पास) बेहट रोड, सहारनपुर (यूपी) 247001, [अंतिम बार इंडियन ओवरसीज बैंक, सहारनपुर मुख्य शाखा, क्लॉक टॉवर, भगत सिंह मार्ग, सहारनपुर (यूपी) में प्रबंधक द्वितीय पंक्ति के पद पर तैनात] को दिनांक 09.04.2025 से बैंक की सेवाओं से निलंबित कर दिया है। श्री मनोज कुमार के साथ लेन–देन करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और जिम्मेदारियों पर ऐसा करेगा और श्री मनोज कुमार द्वारा/उनके साथ किए गए किसी भी कार्य, विलेख या सौदे के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। आम जनता ध्यान दें।

दिनांक– 24.04.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

जबकि मेसर्स सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में द्वितीय तल, 13/29, स्लॉक-ई, हर्ष भवन, प्रिंसिस स्क्विर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, पर स्थित है (जिसे इसके बाद "एसएचएफएल" कहा गया है), के अधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे इसके बाद "सर्फेसी अधिनियम, 2002" कहा गया है) के प्रावधान के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित (उधारकर्ताओं) और (सह-उधारकर्ताओं) को नोटिस में उल्लिखित राशि नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया था। चूंकि उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार उस पर बकाया तथा अन्य शुल्कों के साथ बकाया राशि के लिये "एसएचएफएल" के प्रभार और अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम और पता: 1. सरोज पत्नी फूल सिंह, 2. परवेश पुत्र फूल सिंह, 3. फूल सिंह पुत्र माजी राम, 4. पवन कुमार पुत्र फूल सिंह। सभी निवासी मकान नंबर 229, वार्ड नंबर 22, नियर शिव मंदिर, बत्रा कॉलोनी, पानीपत, पानीपत, हरियाणा 132103	
मांग सूचना दिनांक: 01.10.2024, **कब्जा तिथि:** 18-अप्रैल-25 **मांग सूचना की राशि:** 17.09.2024 तक 2,99,393/- रुपये	
संपत्ति का विवरण: संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसका माप 00 कनाल 03 मरला है, जो कुल भूमि माप 00 कनाल 03 मरला में से 3/124वां हिस्सा दर्शाता है, जो खेवट नंबर 206 और अब खेवट नंबर 268 खतौनी नंबर 324 और अब खतौनी नंबर 354 कित्ता 4 के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 की जमाबंदी के अनुसार ग्राम सोंगरी तहसील और जिला कैथल में स्थित है, जो दान विलेख वसीका नंबर 1167/1 दिनांक 30.01.2018 और दाखिल-खारिज संख्या 1667 के माध्यम से प्राप्त हुई है।	
उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम और पता: 1. सुबती देवी, वार्ड नंबर 10, पाछरों की ढाणी दलमास, सीकर राजस्थान-332312, 2. दिनेश कुमार, 185, पाछरों की ढाणी दलमास, सीकर राजस्थान-332312	
मांग सूचना दिनांक: 07.10.2024, **कब्जा तिथि:** 22-अप्रैल-25 **मांग सूचना की राशि:** 07.10.2024 तक 3,58,747/- रुपये	
संपत्ति का विवरण: संपत्ति नंबर 80 , पट्टा नंबर 80, ग्राम पाछरों की ढाणी, जी.पी. भोजासर बाड़ा, पी.एस. लक्ष्मणगढ़, तहसील-लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर राजस्थान, पिन कोड-332312 में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा यह पता विलेख एसआरओ लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 288 पृष्ठ संख्या 164 क्रमांक संख्या 202203246100657 और अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 757 पृष्ठ संख्या 134 से 141 दिनांक 31.01.2022 को पंजीकृत है, जिसका माप 400 वर्ग गज है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: 74'9", दक्षिण: 74'9", पूर्व: 36'0", पश्चिम: 36'0"	

स्थान: हरियाणा, राजस्थान, दिनांक: 25.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

AXIS FINANCE LIMITED

(CIN U65921MH1995PLC212675)
Axis House, C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 025

ई-सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 8 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो सुरक्षित लेनदार, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को उधारकर्ता/ओं/बंधककर्ता/ओं/गारंटर/ओं, अर्थात 1) हितेश गोयल (उधारकर्ता), (2) स्टोन एज (सह-उधारकर्ता क), (3) कांता देवी (सह-उधारकर्ता क्क/बंधककर्ता) (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से उधारकर्ता कहा जाएगा) से अंतिम भुगतान/ वसूली तक चूक/दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क आदि के साथ 05.04.2025 तक देय **INR.** 65,72,464/- (पचहत्तर लाख बहत्तर हजार चार सौ चौसठ रुपये मात्र) (मांग सूचना दिनांक 27.06.2024 को धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम के तहत जारी राशि – **INR.** 59,67,230/- (उनसठ लाख सड़सठ हजार दो सौ तीस रुपये मात्र)), साथ ही संविदात्मक दरों पर आगे के ब्याज की वसूली के लिए 28.05.2025 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी उपचार के आधार पर" बिक्री की जाएगी। संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य (आरपी), धरोहर जमा राशि (ईएमडी) और बिक्री का विवरण इस प्रकार है:
ठीक है, आपके द्वारा भेजी गई छवि से निकाले गए सभी टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है:

अनुसूची – I

अचल सुरक्षित संपत्ति का विवरण
"प्लॉट संख्या 82-83, दूसरी मंजिल (बिना छत और टैरेस के अधिकार के), पॉकेट 14, सेक्टर – 22, सुल्तान पुरी, सी – ब्लॉक, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110086 जिसका माप 344 वर्ग फुट की संपत्ति का पूरा हिस्सा और टुकड़ा" और जिसकी सीमाएं नीचे दी गई हैं: पूर्व : प्लॉट संख्या 84 पश्चिम : प्लॉट संख्या 81 उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट संख्या 87 और 86

अनुसूची – II
ई-नीलामी का विवरण

संपत्ति (यों) का विवरण	अनुसूची – I के अनुसार
ई-नीलामी की तिथि और समय	दिनांक: 28.05.2025 समय: सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
बोली जमा करने की तिथि और समय	25.05.2025 को शाम 4:00 बजे से पहले
आरक्षित मूल्य: रु. 63,24,000/- (छियासठ लाख चौबीस हजार रुपये मात्र) वह मूल्य जिसके नीचे फ्लैट/संपत्ति/संपत्तियाँ नहीं बेची जाएंगी	
धरोहर राशि (आरपी का 10%):रु. 6,32,400 (छह लाख बत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र)	
बोली वृद्धि राशि: रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र)	
संपर्क व्यक्ति का विवरण और मोबाइल नंबर: श्री सार्थक शर्मा, मोबाइल: 7982992366	

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट यानी **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** और **www.axisfinance.in** पर दिए गए लिंक को देखें;

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) / नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना।
इसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत उक्त ऋण के उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं के लिये उपरोक्त माना जाना चाहिए।

दिनांक: 23.04.2025 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: दिल्ली **एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड**

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009 **शाखा कार्यालय** : एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द्वितीय तल हरी कॉम्प्लेक्स डी कॉर्बिज होटल के पास वेव मॉल के पीछे विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ-226010

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

आप अधोलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय सुविधाएँ ग्रहण कीं और उनके पुनर्भुगतान में चूक की। आपकी चूक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सूचना निर्गत की है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, ऋण खाता सं., ऋण की राशि, धारा 13(2) के तहत माँग सूचना, तिथि, सूचना में दावाकृत राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है :

1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) मांग सूचना की तिथि; 5) दावा की गई राशि रुपये में; 6) प्रतिभूतियों का विवरण; 7) कब्जे की तिथि

कर्जदार तथा सह-कर्जदारों का नाम: 1-सुश्री रहीस मियां एंड संस ज्वैलर्स सुश्री रहीस मियां एंड संस ज्वैलर्स किला बाजार, बीबी/29 असम टी कंपनी के पास बरेली-243001 उत्तर प्रदेश एवं साथ ही मोहल्ला किला इंग्लिश गंज बरेली-243001, 2-अब्दुल रशीद 162 ब्रमपुरा बजरिया के पास सरकारी नाल बरेली-243001 उत्तर प्रदेश, 3- मोबिना खान 162 ब्रह्मपुरा बजरिया के पास सरकारी नाल बरेली-243001 उत्तर प्रदेश ऋण खाता संख्या 8998794, 16054658 युनीक आईडी संख्या 62646651 द्वारा लिंक, **ऋण खाता संख्या** 8998794 द्वारा ऋण राशि रु.2000000/- (रुपए बीस लाख मात्र) और **ऋण खाता संख्या** 16054658 द्वारा रु.392000/- (रुपए तीन लाख बानवे हजार मात्र) तक, **मांग सूचना** दिनांक: 15.04.2025, दावा की गई राशि: रु. 1750452.41 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार चार सौ बावन तथा इकतालीस पैसे मात्र) 09.04.2025 तक एवं वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित। **एनपीए तिथि:** 04.04.2025:
प्रतिभूति का विवरण: दो दुकानों का समस्त भाग, क्षेत्रफल 30.10 वर्ग मीटर, मोहल्ला किला इंग्लिश गंज, बरेली संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: डब्बू भाई का घर, दक्षिण: 20 फीट रोड, पूर्व: असम चाय की दुकान, पश्चिम: हकीम मन्नू की दुकान

कर्जदार तथा सह-कर्जदारों का नाम: 1- परवेज पेपर एजेंसी 23/82 पे चौकी रोड धूलियागंज आगरा आगरा-282003 उत्तर प्रदेश एवं साथ ही पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 101 प्लॉटनं.38 एवं 47ए पर निर्मित तथा संपत्ति संख्या 6सी/41/8 गोपाल कुंज, मौजा-मऊ, हरीपर्वत वार्ड, आगरा-282001, 2- परवेजुद्दीन पुत्र रफीउद्दीन फीट 101 प्रथम तल गोपा कुंज आजाद नगर आगरा -282002 उत्तर प्रदेश, 3- अलकमर पत्नी परवेजुद्दीन फीट 101 प्रथम तल गोपा कुंज आजाद नगर आगरा -282002 उत्तर प्रदेश, 4- मोहम्मद जावेद फिट 1011वीं ताई गोपा कुंज आजाद नगर आगरा आगरा-282002 उत्तर प्रदेश, **ऋण खाता सं.** 41872846, ऋण राशि रु. 3200000/- (रुपए बीस लाख मात्र), **मांग सूचना तिथि:** 15.04.2025, दावा की गई राशि: रु. 3223912.88/- (रुपए बत्तीस लाख तेईस हजार नौ सौ बारह तथा अट्ठासी पैसे मात्र) 09.04.2025 तक, तथा आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज। **एनपीए तिथि:** 04.04.2025: प्रतिभूति का विवरण: प्लॉट नंबर 38 और 47ए पर निर्मित प्रथम तल पर फ्लैट नंबर 101 का समस्त भाग एवं संपत्ति संख्या 6सी/41/8, कवर्ड एरिया माप 78.96 वर्ग मीटर तथा अविभाजित एरिया 42.99 वर्ग मीटर है, गोपाल कुंज, मौजा मऊ हरिपर्वत, तहसील और जिला आगरा **संपत्ति की सीमाएं:** उत्तर: आकाश को खुला, दक्षिण: आम दीवार तथा उसके बाद फ्लैट नंबर 2, पूर्व: आकाश को खुला, पश्चिम: कुछ भाग पर आम दीवार एवं उसके बाद फ्लैट नंबर 1 तथा कुछ भाग पर दरवाजा, निकास एवं आम जीना

कर्जदार तथा सह-कर्जदारों का नाम: 1- राजरानी ट्रेडर्स पुष्प विहार महोली मथुरा उ.प्र. मथुरा-281001 उत्तर प्रदेश तथा प्लॉट नंबर 90, क्षेत्र-167.22 वर्ग मीटर पर निर्मित मकान, खसरा नंबर 525 तथा 576 मौजा महोली अंदरूनपुष्प विहार मथुरा-281001 पर स्थित, 2- सुनील कुमार गौतम 90 पुष्प विहार कॉलोनी फेज 1 महोली मथुरा उ.प्र. मथुरा-281004 उत्तर प्रदेश, 3- लोकेश गौतम 90पुष्प विहार कॉलोनी फेज 1 महोली मथुरा मथुरा-281004 उत्तर प्रदेश, 4- स्वीटी पत्नी सुनील 90 पुष्प विहार कॉलोनी फेज 1 महोली मथुरा मथुरा-281004 उत्तर प्रदेश, **ऋण खाता संख्या** 43779396, ऋण राशि रु.4400000/- (रुपये चौवालीस लाख मात्र), **मांग सूचना तिथि:** 15.04.2025, दावा की गई राशि: रु.4479478.50/- (रुपये चौवालीस लाख उन्यासी हजार चार सौ अठहत्तर तथा पचास पैसे मात्र) 09.04.2025 तक, एवं आकस्मिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि सहित वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज। **एनपीए तिथि:** 04.04.2025: प्रतिभूति का विवरण: खसरा संख्या 525 और 576 मौजा में स्थित प्लॉट संख्या 90 क्षेत्र 167.22 वर्ग मीटर पर निर्मित एक घर समस्त भाग, महोली अंदरून पुष्प विहार फेज I, तहसील एवं जिला मथुरा **संपत्ति की सीमाएं:** उत्तर: रास्ता कॉलोनी 18 फीट, दक्षिण: अन्य की भूमि, पूर्व: प्लॉट नंबर 89, पश्चिम: प्लॉट नंबर 91

अतः आप कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। (प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है) कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस बीच आपको उपर्युक्त सम्पत्ति का हमारी सहमति के बिना विक्रय, पट्टे अथवा अन्य रूप में उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई अननुपालन कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत दण्डनीय है।

किसी पूछताछ के लिए कृपया श्री विकास आनन्द (9711010384) से सम्पर्क करें

स्थान : उत्तर प्रदेश, ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
तिथि : 25.04.2025 अधिकृत प्राधिकारी,

Mahindra FINANCE

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई – 400 001
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पिरामल एमिटी बिल्डिंग, कमानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट मुंबई – 400 070

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
सरफैसी अधिनियम और नियम का नियम 8-(1)

जैसाकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उधारकर्ता श्रीमती नाहिद बेगम, सुश्री नाज़िया, सुश्री हिना, सुश्री नायिश, सुश्री उजमा, मोहम्मद काशिफ और श्रीमती समा को सूचना में उल्लिखित राशि रु. 36,42,509.27/- (छत्तीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ नौ रुपये और सत्ताईस पैसे मात्र) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था।
उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 9 के तहत उसे/उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकताओं और आम तौर पर जनता को एतद्द्वारा संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसी संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार उस पर के साथ उसमे उल्लिखित राशि रु. 36,42,509.27/- (छत्तीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ नौ रुपये और सत्ताईस पैसे मात्र) तथा उसपर ब्याज के लिये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मद सं.- I – आवासीय संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, जो संपत्ति के 1/2 भाग में स्थित है, जिसका नगर निगम नंबर 17/145 है, जिसका माप 34.22 वर्ग मीटर है, जो कांगल पाड़ा, मंटोला रोड, रकाबगंज वार्ड, आगरा में स्थित है। सीमांकन इस प्रकार है:
पूर्व की ओर: स्वर्गीय श्रीमती रसूलन बेगम की संपत्ति का शेष भाग; पश्चिम की ओर: 3.4 फीट चौड़ा रास्ता; दक्षिण की ओर: चंद्र जमाँ और वेदो की संपत्ति; उत्तर की ओर: 30 फीट चौड़ा रास्ता;
दिनांक: 25.04.2025 **हस्ता/- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**
स्थान: आगरा, उत्तर प्रदेश **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL — आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालय:- सं. एन/17, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।
कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित स